आज्ञा

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत व्यापार आयकर द्वारा 2018 के नवम्बर तिमाही में पेश हुई चूंकि मूल वाद का निस्तारण हो चुका है ऐसी अवस्था में इस प्रपत्र की कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई औचित्य

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है	
	पत्रावली फैसल	
	शुमार होकर consign	
	हो	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

Scanned by CamScanner